अल्प कालीन निविदा सूचना

कु0म0वि0नि0लि0, नैनीताल में पंजीकृत भवन निर्माण कार्यों तथा विद्युत कार्यों के अनुभवी एवं मान्यता प्राप्त तथा निम्न शर्तो को पूर्ण करने वाले ठेकेदारों से बन्द लिफाफे में निविदा **दिनॉक 04.04.2020** को अपरान्हन **03:00** बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन **03:30** बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र **दिनॉक 16.03.2020 से दिनॉक 03.04.2020** तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क **(जी0एस0टी0 सहित)** जमाकर प्राप्त की जा सकती है।

क. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी0एस0टी0 सहित)	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	श्रेणी
1	तल्लीताल बस स्टेशन से पुरानी चुँगी बैन्ड तक सोलर लाईट लगाने का कार्य।	रू0 2360.00	रू0 45000.00	01 माह	07 दिन	"ए"
2	पुरानी चुँगी बैन्ड से कूड़ा खड्ड तक सोलर लाईट लगाने का कार्य।	रू0 2360.00	रू0 45000.00	01 माह	07 दिन	--do--
3	कूड़ा खड्ड से हनुमान गढ़ी बैन्ड तक सोलर लाईट लगाने का कार्य।	रू0 2360.00	रू0 45000.00	01 माह	07 दिन	--do--
4	हनुमान गढ़ी घाटी से सीवेज ट्रीटमैन्ट प्लान्ट तक सोलर लाईट लगाने का कार्य।	रू0 2360.00	रू0 45000.00	01 माह	07 दिन	--do--
5	केव गार्डन से धमपुर बैन्ड तक सोलर लाईट लगाने का कार्य।	रू0 1180.00	रू0 19000.00	01 माह	07 दिन	"बी" एवम् उच्चतर
6	धामपुर बैन्ड से बारा पत्थर तिराहे तक सोलर लाईट लगाने का कार्य।	रू0 1180.00	रू0 19000.00	01 माह	07 दिन	--do--
7	नैनीताल डॉठ से टूटा पहाड़ तक सोलर लाईट लगाने का कार्य।	रू0 1770.00	रू0 26000.00	01 माह	07 दिन	--do--
8	टूटा प्रहाड़ भवाली रोड से कैलाखन तक सोलर लाईट लगाने का कार्य।	रू0 1770.00	रू0 26000.00	01 माह	07 दिन	--do--
9	पर्यटक आवास गृह भीमताल के उच्चीकरण हेतु विद्युतीकरण का कार्य।	रू0 580.00	रू0 10000.00	02 माह	07 दिन	--do--
10	अकादमी परिसर नैनीताल में स्थित चौखम्भा भवन, मंदाकिनी भवन तथा जान्हवी भवन के सम्मुख पाथ–वे का निर्माण कार्य।	रू0 1770.00	रू0 28000.00	02 माह	07 दिन	"सी" एवम् उच्चतर

शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय एवम् **www.kmvn.in** पर देखी जा सकती हैं। यदि उपरोक्त निविदा सूचना कोई संशोधन किया जाता है तो उसकी सूचना केवल निगम की वेबसाईट के माध्यम से प्रदर्शित की जायेंगी। **निविदादाता को निम्न शर्तो का पालन करना अनिवार्य है :–**

- निविदा कु0म0वि0नि0लि0, नैनीताल में पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय की जायेगी तथा उनके द्वारा निविदा क्रय करने से पूर्व पंजीयन प्रमाण–पत्र तथा सम्बन्धित कार्य की धरोहर धनराशि निर्धारित प्रारुप में (एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/कॉल डिपोजिट के रूप में महाप्रबन्धक, कु0म0वि0नि0 के नाम बन्धक होनी चाहिए) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ रू0 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रू0 1.00 का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- अपूर्ण, सर्शत एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी ।
- निविदा में मात्रायें घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
- अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।
- अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक या एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प डयूटी लगाना आवश्यक है।
- निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23–999–11/96लो.नि.वि. के अनुभाग–9 लखनऊ दिनॉक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्राविधानों अनुसार की जायेगी।
- यदि शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- निविदा क्रय के साथ कु0म0वि0नि0लि0, नैनीताल में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।
- निविदा की दरें प्रतिशत में ही मान्य होगी।
- निविदादाता को जी0एस0टी0, आयकर प्रमाण पत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसकी छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- सोलर लाईटिंग सिस्टम का Complete Installation किया जाना अनिवार्य है।
- क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 09 तक के कार्यों हेतु ठेकेदार को किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग में सोलर लाईट कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है, जिसकी प्रति संलग्न किया जाना आवश्यकीय है।
- उपरोक्त सोलर लाईट सिस्टम हेतु ठेकेदार द्वारा पाँच वर्षो (तीन वर्षो की ग़ारन्टी + 2 वर्षो की मैन्टीनेन्स वारन्टी) की वारन्टी दिया जाना अनिवार्य है। तद्नुसार ही धरोहर धनराशि, कार्य संतोषजनक होने पर ही लौटायी जायेगी।
- सोलर लाईट सिस्टम में उपरोक्त वार्णित समयावधि (पाँच वर्ष) किसी भी प्रकार की खराबी आने पर सिस्टम को एक सप्ताह के भीतर बदला जाना/ठीक करवाया जाना आवश्यक होगा।

महाप्रबन्धक